संख्या- 127/2026 / 967/चार-2026- 1937689

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय:- सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु **56-सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य** -24- वृहद निर्माण कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4616 /सं0नि0-6(12)/2025-26, दिनांक 25 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय में सार्वजनिक रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/सौंदर्यीकरण आदि विकास का कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय- **56-सार्वजनिक रामलीला मैदानों/ स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य** -24- वृहद निर्माण कार्य मद में संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति एवं स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल धनराशि **रुपये 339.78 लाख (रुपये तीन करोड़ उनतालीस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.	जनपद	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1	रामपुर	जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर से साहूकारा मोहल्ला में स्थित रामलीला ग्राउण्ड का सुदृढ़ीकरण।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**137.17**	**12.00**
2		जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर सोमवार की बाजार में स्थित रामलीला ग्राउण्ड का सुदृढ़ीकरण।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**299.205**	**25.00**
3	गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र, साहिबाबाद के लाजपत नगर में स्थित रामलीला मैदान, मंच एवं एक सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**271.92**	**24.00**
4	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर के विष्णु भगवान मंदिर, विष्णु चौक (असुरन) गीता वाटिका, गोरखपुर में स्थित श्री राम लीला मंच के पुनर्निमाण।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**99.95**	**08.00**
5	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर ग्राम अमौली, विकास खण्ड अमौली में रामलीला परिसर, रंगमंच के सौन्दर्यीकरण का कार्य।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**242.55 5**	**21.00**
6	गोण्डा	जनपद गोण्डा में विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में स्थित पर्यटन स्थल महराज परमहंस बरियाडीह के रामलीला मैदान का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**339.34**	**90.78**
7	लखनऊ	जनपद लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान का विकास कार्य।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**129.60**	**11.00**
8	भदोही	जनपद भदोही के ग्राम कंसापुर में रामलीला मैदान का सुदृढ़ीकरण/ सौन्दर्यीकरण आदि विकास का कार्य।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**250.17**	**22.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	उन्नाव	जनपद उन्नाव के आवास विकास कालोनी स्थित वृन्दावन पार्क रामलीला स्थल को विकसित कराने हेतु।	यू0पी0 पी0सी0एल0	**244.57**	**22.00**
10	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर के नौबस्ता खागा मार्ग स्थित रावण मैदान एवं रमबंदी में ऐतिहासिक रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार एवं अन्य अवस्थापना कार्य।	सी0 एण्ड डी0एस0	**301.19**	**27.00**
11	बिजनौर	जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम कोतवाली में स्थित रामलीला मैदान की चाहरदीवारी, इंटरलॉक, टाइल्स, आदि सौन्दर्यीकरण का कार्य।	सी0 एण्ड डी0एस0	**180.24**	**16.00**
12	हमीरपुर	जनपद हमीरपुर के ग्राम खण्डहे, ब्लाक मौदहा में श्रीराम जानकी मंदिर प्रांगण में रामलीला मंच का निर्माण।	सी0 एण्ड डी0एस0	**91.33**	**08.00**
13	फर्रूखाबाद	जनपद फर्रूखाबाद के मोहम्मदाबाद के संकिसा रोड पर सब्जी मण्डी आजाद नगर स्थित रामलीला प्रांगण में टीन शेड डलवाने के संबंध में।	सी0 एण्ड डी0एस0	**79.73**	**07.00**
14	हरदोई	जनपद हरदोई के अन्तर्गत वि0ख0 बावन ग्राम बरवन के रामलीला मंच एवं अन्य विकास कार्य का निर्माण	सी0 एण्ड डी0एस0	**189.02**	**17.00**
15		जनपद हरदोई के अन्तर्गत वि0ख0 भरखनी, ग्राम लखनौर के रामलीला मंच एवं अन्य विकास कार्य का निर्माण।	सी0 एण्ड डी0एस0	**183.85**	**16.00**
16	कुशीनगर	लोकसभा कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा की ग्रामसभा मठिया बुजुर्ग में रामलीला स्थल का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कराये जाने के संबंध में।	सी0 एण्ड डी0एस0	**155.02**	**13.00**
	योग- रूपये तीन करोड़ उनतालीस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र				**339.78**

2. <u>शर्तें/ प्रतिबंध</u>-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 में निर्देश दिये गये हैं कि परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) संस्कृति निदेशालय द्वारा कोषागार से धनराशि आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(9) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(11) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(12) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(15) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,39,78,000.00 (रुपये तीन करोड़ उनतालीस लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202048005600 सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जिलाधिकारी।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- संबंधित कार्यदायी संस्था।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-967-Reapp Ramleela-3

विषय:- 56- सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार,जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202041061000 (जनपद बलरामपुर में इमलिया कोडर व उसके आस-पास थारू जनजाति की संस्कृति के संरक्षण हेतु संग्रहालय)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	0 शून्य	2025-2026
092	4202041060900 (महापुरूषों की मूर्तियों का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,22,12,111 रुपये दो करोड़ बाईस लाख बारह हजार एक सौ ग्यारह मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005600 (सार्वजनिक रामलीला मैदानों/स्थलों का विकास, विस्तार,जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण आदि कार्य)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	8,01,00,000 रुपये आठ करोड़ एक लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	10,51,00,000 रुपये दस करोड़ इक्यावन लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,50,00,000	₹ 2,50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-757-E-7-329-X-2025-26-दिनांक: 27-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 127/2026 / 967/चार-2026- 1937689 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।